



कौशल विकास केंद्र संचालन मार्गदर्शिका



बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार



सुरेन्द्र राम
मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार।

संदेश

वर्तमान समय और आधुनिक युग में सभी को तकनीकी एवं संचार साधनों की जानकारी के साथ हुनरमंद होना भी आवश्यक है, जिसको लेकर श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन निरंतर कार्यरत है। बिहार सरकार प्रदेश के युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने एवं राज्य में बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु प्रबंधन एवं सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है, हमारे युवा काफी परिश्रमी एवं लगनशील होते हैं, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल के कारण पिछड़ जाते हैं। इसी दृष्टिपथ में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र का संचालित किया गया है, जिससे सम्बंधित कौशल विकास केंद्र संचालन मार्गदर्शिका' तैयार किया गया है।

प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए यह मार्गदर्शिका पूर्ण रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए नई उँचाईयों को छुए, इसी कामना के साथ मेरी ओर से इससे जुड़े सभी संबंधितों को साधुवाद।

शुभकामनाओं सहित।

(सुरेन्द्र राम)
मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार।



डॉ० बी० राजेन्दर

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

प्रस्तावना

आधुनिक युग में राष्ट्र के निर्माण एवं सर्वांगीण उन्नति का चक्र चलाने हेतु प्रखर तेजस्वी एवं कौशल से युक्त व्यक्तियों आवश्यकता है। वर्तमान समय की मांग के अनुरूप युवाओं को किशोरावस्था से ही कौशल विकास की गतिविधियों से जुड़ना होगा। राज्य भर में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्रों से युवाओं और युवतियों को जोड़ना होगा, जिससे भावी पीढ़ी का वांछित निर्माण हो सके।

मुझे विश्वास है कि बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा तैयार किया गया "कौशल विकास केंद्र संचालन मार्गदर्शिका सभी स्तरों पर प्रदेश के युवाओं के क्षमतावर्द्धन और उनको हुनर से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। इस मार्गदर्शिका में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियों को समाहित किया गया है। यह मार्गदर्शिका जिलों में संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के सफल एवं पारदर्शी संचालन एवं प्रशासनिक अनुश्रवण में भी सहायक होगा। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी स्तर से निरंतर अनुश्रवण और आपके जिले में संचालित कौशल विकास केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण में यह मार्गदर्शिका काफी लाभप्रद एवं उपयोगी होगा, जो प्रदेश के युवाओं को नई दिशा देगा।

(डॉ० बी० राजेन्दर)

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)	- 1 से 6
2.	बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एकाउंटिंग (BS-CFA)	- 7
3.	डोमेन स्किलिंग	- 8 से 9
4.	भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (RTD)	- 10 से 12
5.	रेकॉगनिसन ऑफ प्रायर लर्निंग, ब्रिज कोर्स सहित (RPL)	- 13 से 14
6.	संकल्प (SANKALP)	- 15
7.	रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट	- 15
8.	जिला पदाधिकारी से अपेक्षा	- 16
9.	चेक लिस्ट	- 17
10.	जिला कौशल प्रबंधकों की सूची	- 18 से 19
11.	जिला कौशल विशेषज्ञों की सूची	- 20



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



1. कुशल युवा कार्यक्रम

मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-673, दिनांक-21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 07 निश्चयों में "आर्थिक हल, युवाओं को बल" को एक निश्चय के रूप में कौशल विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत है:-

"राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जाएगा।"

* स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना "कुशल युवा कार्यक्रम" प्रारंभ करने एवं कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को सौंपा गया है। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

कुशल युवा केन्द्र मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-

1. SDC - इन केन्द्रों की स्थापना निजी प्रशिक्षण प्रदाता करते हैं और इन केन्द्रों में लगाये गये सभी संसाधन इनकी निजी होती है।
2. BSDC - इन केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन एवं फर्नीचर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो सामान्यतः प्रखंड मुख्यालय में होता है। इन केन्द्रों का संचालन भी प्राईवेट प्रशिक्षण प्रदाता करते हैं और भवन एवं फर्नीचर को छोड़कर बाकी सभी संसाधन इनकी निजी होती है।
3. GTP - ITI and P&E - इन केन्द्रों की स्थापना सरकारी आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाती है जिसका संचालन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है।

कुशल युवा कार्यक्रम :-

- कुशल युवा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कुल 240 घंटे का है, जिसके तीन अंग हैं- व्यवहार कौशल, संवाद कौशल (हिन्दी/अंग्रेजी) तथा कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान।
 - (i) BS-CIT (Bihar State Certificate in Information Technology) :- 120Hrs.
 - (ii) BS-CLS (Bihar State Certificate in Language Skillling) :- 80 Hrs
 - (iii) BS-CSS (Bihar State Certificate in Soft Skills) :- 40 Hrs
- प्रशिक्षण के लिये ई-लर्निंग मोड का उपयोग होता है।
- प्रमाणीकृत प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे LF (Learning Facilitator) कहते हैं।
- प्रशिक्षण का अनुक्रमिक मोड, जिसके कारण प्रशिक्षणार्थी द्वारा किसी भी मॉड्यूल को अधूरा छोड़कर अगले मॉड्यूल पर नहीं जाया जा सकेगा।
- बेब-पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का पल-पल तथा चरणबद्ध प्रगति का अनुश्रवण।
- इनविल्ट एकीकृत ऑन-लाईन मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया।





कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



1.1 कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थी/लाभुक

राज्य के 15-28 वर्ष के युवा जो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण हो।

- 20-28 वर्ष के युवा जो स्वयं सहायता भत्ता लेना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा। 20-28 वर्ष के युवा जो स्वयं सहायता भत्ता लेना चाहते हैं, उनको 05 माह का भत्ता अर्थात् ₹0 5000/- कुशल युवा कार्यक्रम के सफल प्रशिक्षण के उपरान्त देय होगा।
- 15 से 28 वर्ष है जिसमें विशिष्ट वर्ग हेतु निम्न प्रकार से छूट दी गई है:-
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 33 वर्ष
 - दिव्यांग - 33 वर्ष
 - अन्य पिछड़ा वर्ग - 31 वर्ष
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अथवा शिक्षा प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी यदि कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण चाहते हों तो उन्हें जिला पंजीकरण सह परामर्श केन्द्र (DRCC) में पंजीकरण से छूट रहेगी और वे सीधे किसी भी कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण केन्द्र पर पंजीकृत हो सकेंगे और इन पर आयु की अधिकतम सीमा 28 वर्ष लागू नहीं होगा।

1.2 प्रशिक्षण अवधि:-

कुशल युवा कार्यक्रम के बैचेज की प्रशिक्षण अवधि 12 सप्ताह की होगी।

- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 04 घंटे केन्द्र में उपस्थित रहते हुये प्रतिदिन दो पाठ्यक्रम 2-2 घंटे सीखना आवश्यक है।
- इन 02 घंटों में से विद्यार्थी को पहला एक घंटा अपने ग्रुप के अन्य विद्यार्थियों के साथ और शेष एक घंटा कम्प्यूटर लैब में अकेले अपने आप कम्प्यूटर का प्रयोग करते हुये सीखना है।

1.3 पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण संरचना निम्न प्रकार होगी:-

- क्लास रूम प्रशिक्षण।
- लैब प्रशिक्षण।
- प्रत्येक कौशल विकास केन्द्र पर दो Learning Facilitator की आवश्यकता होगी।

1.4 क्लास रूम प्रशिक्षण:-

- क्लास रूम में एक कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, LED TV की व्यवस्था होगी।
- 20 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने हेतु एक वर्ग कक्षा एवं कुर्सी की व्यवस्था होगी।
- Learning Facilitator के बैठने हेतु कुर्सी-टेबुल की व्यवस्था होगी।
- Projector द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रत्येक दिन एक प्रशिक्षणार्थी वर्ग कक्षा में सभी प्रशिक्षणार्थी के सामने अंग्रेजी/हिन्दी में किसी भी विषय (Topic) पर न्यूनतम 05 मिनट स्पीच देना होगा।





1.5 लैब रूम प्रशिक्षण:-

- 20 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने हेतु एक लैब की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिये एक लैपटॉप/डेस्कटॉप की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक लैपटॉप/डेस्कटॉप लैन के माध्यम से सर्वर से जुड़ा होगा। इस प्रकार लैब में एक सर्वर एवं 20 Client रहेगा।
- लैब में एक प्रशिक्षणार्थी एक कम्प्यूटर पर बैठकर अपने Login के माध्यम से पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लिया जाता है तथा Challenges, Bigger Challenges, Do it yourself, English/Hindi Typing test, Session end Test etc. के माध्यम से उनका नियमित मूल्यांकन किया जाता है।
- ERA (E-Learning Revolution for all) LMS के माध्यम से भिन्न-भिन्न Office Tools का अभ्यास करेंगे।
- लैब में प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन लैब सेशन के लिए Headphone तथा माईक का उपयोग करना अनिवार्य है अर्थात् प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिये एक हेडफोन आवश्यक है।

1.6 नामांकन क्षमता:-

- एक बैच अधिकतम 20 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन होगा।
- वर्ष -2019-20 में Seat यूटिलाइजेशन 90% या उससे अधिक होता है, वैसे 55 केन्द्रों को 30 प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन की अनुमति दी गयी है।

कम्प्यूटर संख्या	प्रति बैच Intake Capacity: SDC में कम से कम आवश्यक अध्ययन कक्ष (क्लास रूम) और कम्प्यूटर प्रयोगशाला
20 Client कम्प्यूटर के लिये	120 (छ: बैच)
एक सर्वर को Client कम्प्यूटर से अधिक कम्प्यूटर नहीं जोड़े जा सकते हैं। कुछ संस्थानों में Intake Capacity बढ़ाने के लिए 30 Client Computers लगाने की सुविधा दी गयी है।	

- पूरा e-Content ERA Server Machine पर होगा।
- क्लास रूम के Machine भी LAN/Wi-Fi के माध्यम से ERA Server Machine के साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी।
- LF क्लास रूम के Machine पर Login करते (प्रोजेक्टर और स्पीकर का प्रयोग करते हुए) ERA के माध्यम से अलग-अलग कन्टेन्ट एक के बाद एक प्रस्तुत होंगे।
- Secured Browser के माध्यम से ERA प्रणाली का प्रयोग करने से एक समय में एक मशीन पर एक से अधिक विद्यार्थियों का ERA Login नहीं होगा।
- WORM Software के माध्यम से एक MAC ID से एक ही मशीन अनुमोदित हो सकेगा। एक ही Machine में एक से अधिक बार Intake Capacity नहीं ली जा सकेगी।





कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



कुशल
युवा
कार्यक्रम

1.7 KYP के हर बैच का कुल अवधि 12 सप्ताह में 240 घंटे का होगा।

1. बैच का प्रशिक्षण अवधि 50 दिन।
2. रविवार और छुट्टियों के दिन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण अवधि 60 दिन या दो महीने हो सकता है।
3. विशेष परिस्थिति में बंद तिथि का पाठ्यक्रम राजपत्रित अवकाश अथवा रविवार को केंद्र खोलकर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
4. विशेष परिस्थिति में बैच Extension का प्रावधान किया जाता है।

1.8 मूल्यांकन :-

1. कुशल युवा कार्यक्रम कुल 100 अंक का होगा जिसमें
 - आन्तरिक मूल्यांकन - 80 अंक
 - फाइनल परीक्षा - 20 अंक
 - कुल - 100 अंक
2. कुशल युवा के प्रशिक्षणार्थी को प्रमाणीकरण हेतु अंतिम परीक्षा अर्थात् 20 अंक की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षणार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन + फाइनल परीक्षा में कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।





1.9 लर्निंग फैसिलिटेटर - योग्यता एवं प्रशिक्षण

- न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता एवं केवाईपी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या कंप्यूटर विज्ञान में उच्च डिग्री/डिप्लोमा।
- कुशल युवा कार्यक्रम हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा ऑनसेट के माध्यम से प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षकों के लिये आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मिशन द्वारा निर्धारित व्यय का वहन संबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

1.10 पठन-पाठन सामग्री का वितरण

- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी भी बैच को प्रारंभ करने से पूर्व कोर्स सामग्री (2 किताब) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराना होगा।
- सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा बिना किसी शुल्क के पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है, जिसे संबंधित केन्द्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

1.11 प्लेसमेंट

- कुशल युवा कार्यक्रम में रोजगार की बाधयता नहीं है बल्कि यह युवाओं को रोजगारपरक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है जिससे उनको अच्छी नौकरी का अवसर प्रदान होता है।





1.12 केन्द्र का इन्फ्रास्ट्रक्चर

1. IT Infrastructure

- Server (As per std. configuration)
- Clients (As per std. configuration) (Preferably Laptop)
- Biometric Device (As per prescribed makes/models)
- Web Camera for each machine
- Headphone for each machine
- Internet Connection (Broadband at least 256 kbps)
- CCTV (Optional)
- Printer
- Scanner
- Projector/ LCD display
- Speakers
- Licensed software on each machine
- Mouse, Mouse pad

2. Other Infrastructure

- Counselling Area / Reception Area / Office space
- Lecture Room / Classroom
- Computer Laboratory
- Drinking Water facility
- Clean Washroom
- Power Backup for all machines
- UPS for Server
- Comfortable seating arrangement
- Library of Books, CDs/ DVDs, etc. (Preferable)
- Notice Board
- Proper Wiring of electric and network cables
- Proper light arrangements
- Proper ventilation
- Suggestion Box
- Footwear Stand





2. बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एकाउंटिंग (BS-CFA)

देश में GST लागू होने के पश्चात् छोटे एवं मझोले उद्योगों में ऐसे एकाउंटेंट जिन्हें Tally एवं GST का ज्ञान हो, के रोजगार की असीम संभावनाएं को देखते हुए बिहार कौशल विकास मिशन ने 'बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फायनेंशियल एकाउंटिंग (BS-CFA) कोर्स की परिकल्पना की जिसमें Basic Concepts of Accounting, Tally & GST का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम की संकल्पना ऐसे कार्यबल तैयार करने के लिए की गई है जिनके पास वित्तीय लेखा, टैली एवं जीएसटी की जानकारी हो एवं उसके पश्चात् वे स्वतंत्र रूप से बिहार राज्य के छोटे एवं मझोले उद्यमियों को इन क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर अपने लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें।

- लर्निंग मैनेजमेण्ट प्रणाली के माध्यम से ई-लर्निंग सामग्री अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक अनुमण्डल में एक केन्द्र की स्थापना - 101 अनुमण्डल एवं पटना में कुल 2 अर्थात् 102 केन्द्र स्थापना का लक्ष्य।
- वर्तमान में 81 अनुमण्डलों में 82 केन्द्र स्थापित।

इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार है-

1. प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा - 17 से 45 वर्ष है।
2. प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता - 12वीं पास
3. प्रशिक्षण की अवधि - 120 घंटे
4. मूल्यांकन एवं प्रमाणन - बीएस-सीएफए के प्रशिक्षण का एकीकृत ऑनलाईन मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जाता है।



2.1 प्रशिक्षक - योग्यता एवं प्रशिक्षण :-

- बी.कॉम उत्तीर्ण एवं BS-CFA/TALLY Certified
- इस कार्यक्रम हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा ऑनसेट के माध्यम से प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षकों के लिये आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मिशन द्वारा निर्धारित व्यय का वहन संबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

2.2 बैच साइज़ :-

- न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच / ग्रुप
- न्यूनतम एवं अधिकतम बैच साइज़ को बीएसडीएम द्वारा भविष्य में या तो आम तौर पर या विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है।



3. डोमेन स्किलिंग

वैसे युवा जो अपनी अभिरुचि के किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हों, उनके लिये डोमेन स्किलिंग के अन्तर्गत 15 विभागों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसका समन्वय बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम युवाओं को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्र में उनकी पेशेवर स्थिति में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

डोमेन स्किलिंग के कुशल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 15 विभागों की सहमति से एक मानक प्रोसेस एवं कॉस्ट नॉर्म्स निर्धारित किया गया है, जो सभी विभागों के द्वारा संचालित किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में लागू है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के Standardization हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा Sector Skill Council से अनुमोदित पाठ्यक्रमों को चयनित किया गया है। पाठ्यक्रमों का चयन सम्बद्ध विभागों के आवश्यकता-नुसार उनके परामर्श से किया जाता है।

निजी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के साथ-साथ Government Training Provider के रूप में सरकारी संस्थाओं यथा आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों, CIPET Hajipur, TRCT Patna तथा अन्य संस्थाओं को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार है:-

3.1 प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा

15 से 59 वर्ष अथवा योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार।

3.2 प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता

- पाठ्यक्रम की आवश्यकता या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार।
- कुछ गंभीर रूप से वंचित समूहों या कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों / विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, बीएसडीएम द्वारा आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

3.3 उपलब्ध कोर्स

- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा डोमेन स्किलिंग हेतु सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं।
- कोर्स लिस्ट बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर के साथ परामर्श कर तैयार की गई है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।





3.4 प्रशिक्षण की अवधि

- न्यूनतम 200 घंटे: वर्तमान पाठ्यक्रम की सूची में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार या किसी भी विभाग/सरकारी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था की मांग के अनुसार एवं समय-समय पर हुए संशोधन के अनुसार।
- ऐसे पाठ्यक्रम जो 200 घंटे से कम हैं, लेकिन नए कौशल के लिए राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण होंगे, उन पर केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- साथ ही, इनमें से कुछ पाठ्यक्रमों के लिए प्रासंगिक क्लबिंग (पाठ्यक्रमों/विषयों/एनओएस/प्रशिक्षण अवधि आदि) की जा सकती है, ताकि पाठ्यक्रमों में रोजगार की संभावना को बढ़ाया जा सके।

3.5 प्लेसमेंट अधिदेश (Placement Mandate)

- बीएसडीएम दिशानिर्देशों का पालन करने वाली सभी डोमेन स्किलिंग योजनाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार (एक बैच के कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से), वेतन रोजगार या स्वरोजगार होना चाहिए।
- वेतन रोजगार और स्व-रोजगार के लिए प्लेसमेंट प्रतिशत का ब्रेकअप क्रियान्वयन विभाग द्वारा पाठ्यक्रम की प्रकृति और उनके लक्षित समूह के अनुसार तय किया जा सकता है।

3.6 मूल्यांकन एवं प्रमाणन

1. मूल्यांकन

एसे प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन के लिये पात्र हैं जिन्होंने बैच अवधि की 80 प्रतिशत उपस्थिति के मूल्यांकन पात्रता मानदंड को पूरा किया है।

- 0 MES Course – NCVT द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेन्सी।
- 0 QP / NOS आधारित कोर्स – SSC's द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेन्सी।
- 0 MES / QP के आधारित कोर्स के अलावा – BBOSE, BSDM या राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कोई अन्य संस्था जो BSDM द्वारा अनुमोदित हो।
- 0 राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर ख्याति प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था, बीएसडीएम से पाठ्यक्रम अनुमोदन के बाद अपने प्रशिक्षण का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर:

सभी जॉब रोल/कोर्स, सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित कोर्स होते हैं, अतएव प्रशिक्षण केन्द्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किया जाता है, जो बीएसडीएम और सेक्टर स्किल काउंसिल के वेबसाइट पर उल्लेखित है।

न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 40 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच (वैसे केन्द्र प्रायोजित योजना को छोड़कर जिसमें न्यूनतम बैच साइज पूर्व से निर्धारित हो)।

न्यूनतम एवं अधिकतम बैच साइज को बीएसडीएम द्वारा भविष्य में या तो आम तौर पर या विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है।

3. पठन-पाठन सामग्री का वितरण

कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी भी बैच को प्रारंभ करने से पूर्व कोर्स सामग्री (किताब) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराना होगा।

4. भोजन एवं आवास

यह नियम केवल आवासीय प्रशिक्षण के लिये लागू होगा एवं केवल प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए देय होगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रशिक्षण के कुल दिनों की गणना हेतु प्रतिदिन 6 घंटे की न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि मानी जाएगी जिसके लिए भोजन और आवास राशि प्रदान की जाएगी।



4. भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती योजना (Recruit Train Deploy – RTD Scheme)

प्रायः ऐसा देखा जा रहा था कि कम्पनियाँ अभ्यर्थियों के चयन के बाद पुनः अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण देकर ही नियोजित करते थे, जिससे समय एवं अर्थ का अपव्यय होता था, इसी दृष्टिपथ में बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल प्रारंभ की गई जिसमें प्रशिक्षणकार्य की जिम्मेदारी स्वयं उद्योगों पर होगा जो कि स्वयं के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार बनाए गए प्रशिक्षण मानदण्डों पर आधारित प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।

4.1 इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार हैं-

1. प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 15 से 45 वर्ष।



2. प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता

- पाठ्यक्रम की आवश्यकता या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार।
- कुछ गंभीर रूप से वंचित समूहों या कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों / विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, बीएसडीएम द्वारा आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

3. उपलब्ध कोर्स

- सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित पाठ्यक्रम या इण्डस्ट्री पार्टनर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।

4. प्रशिक्षण की अवधि

- **न्यूनतम 200 घंटे:** यद्यपि बिहार कौशल विकास मिशन की अनुमति से प्रशिक्षण की अवधि इण्डस्ट्री पार्टनर/प्लेसमेंट एजेन्सी / ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्रस्तावित निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 200 घंटे से कम भी हो सकती है।

4.2 प्लेसमेंट: परिभाषा

1. प्लेसमेंट परिभाषा (Placement Definition)

- मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षणार्थी का प्लेसमेंट करना होगा।
- प्लेसमेंट की परिभाषा का मतलब नियोजित उम्मीदवार प्रस्तावित नौकरी को ज्वाइन कर लिया हो और कम से कम अगले 3 महीनों तक रोजगार में हो।
- प्लेसमेंट वेतन रोजगार या स्वरोजगार के रूप में हो सकता है।



2. वेतन रोजगार

- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ऐसे नौकरी में रखा जाना जो कम से कम नौकरी वाले राज्य में निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर हो एवं
- उम्मीदवारों को उसी या किसी अन्य नियोक्ता के साथ, (समान या उच्च वेतन स्तर पर) नियुक्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि तक नौकरी में बने रहना होगा।

3. स्व-रोजगार

- उम्मीदवार आजीविका बढ़ाने वाले व्यवसायों में अपने आप को नियोजित किये हों जिसके लिये जिसके सबूत के तौर पर व्यापार का लाईसेन्स प्राप्त करना या उद्यम की स्थापना करना या एक निर्माता समूह का सदस्य बनना या अतिरिक्त कमाई का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) या बीएसडीएम / संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोई अन्य उपयुक्त और सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध किये जाने चाहिए।

4. प्लेसमेंट अधिदेश (Placement Mandate)

- न्यूनतम 80 प्रतिशत (एक बैच के कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से), वेतन रोजगार या स्वरोजगार होना चाहिए।
- सेवा शर्तों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को पहले से, यानी भर्ती के समय ही सूचित किया जाना होगा। शर्तों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए-

- सैलरी पैकेज
 - 0 सीटीसी
 - 0 कैश इन हैंड
 - 0 अन्य लाभ
- कार्य का कुल समय
- नौकरी का स्थान
- कार्य भूमिका
- अन्य सुविधाएं



4.3 पोस्ट ट्रेनिंग / प्लेसमेंट ट्रेकिंग अधिदेश (Post Training / Placement tracking mandate)

- मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 महीने के भीतर सभी प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से Placed / Unplaced दर्शाना होगा।
- पुनर्मूल्यांकन (यदि कोई हो) को प्रथम किये गये मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर या बीएसडीएम द्वारा दिये गये अनुमति के अनुसार, पूरा किया जाना होगा।
- प्लेसड अभ्यर्थियों के लिये - 1 वर्ष के रोजगार की ट्रेकिंग जिसमें कम से कम 6 माह का वेतन स्लिप / बैंक स्टेटमेंट / स्वघोषणा (स्वरोजगार की स्थिति में) / मासिक वेतन की स्वघोषणा (अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजन की स्थिति में) बीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा।



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



- अन्य संबंधित विवरण जिसे बीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

1. वेतन रोजगार की स्थिति में-

- नियोजन का दिनांक
- नाम, पता, सेक्टर एवं नियोक्ता संस्था / कंपनी का संपर्क विवरण
- रोजगार का स्थान (शहर, जिला, राज्य)
- वेतन
- पदनाम
- अभ्यर्थी का वर्तमान फोन नंबर
- प्रस्तुत जानकारी के सही होने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का घोषणा पत्र।
- ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी/अनुबंध की प्रति/सैलरी स्लिप/अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

2. स्व-रोजगार की स्थिति में

- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का दिनांक
- नाम, पता, सेक्टर एवं उद्यम का संपर्क विवरण – अनिवार्य नहीं
- मासिक आय
- अभ्यर्थी का वर्तमान फोन नंबर
- प्रस्तुत जानकारी के सही होने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का घोषणा पत्र ।
- उद्यम पंजीयन की सॉफ्ट कॉपी / बैंक लोन डॉक्यूमेंट / बैंक स्टेटमेंट / स्व-रोजगार की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

4.4 मूल्यांकन एवं प्रमाणन

1. मूल्यांकन:-

- ऐसे प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन के लिये पात्र है जिन्होंने बैच अवधि की 80 प्रतिशत उपस्थिति के मूल्यांकन पात्रता मानदंड को पूरा किया है।
 - 0 QP / NOS आधारित कोर्स - SSC's द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेन्सी।
 - 0 इण्डस्ट्री / प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा निर्धारित कोर्स- स्वयं

2. प्रमाणन:-

- 0 QP / NOS आधारित कोर्सेस -SSC's
- 0 इण्डस्ट्री / प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा निर्धारित कोर्स इनके एवं बीएसडीएम द्वारा संयुक्त रूप से।

4.5 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers - ToT)

- इण्डस्ट्री द्वारा यदि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाया जाता है तो सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा नामित टीओटी एजेन्सी, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र संचालक सभी प्रशिक्षकों के टीओटी शुल्क, टीओटी केंद्र तक आने-जाने की व्यवस्था स्वयं वहन करेंगे।
- सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा निर्धारित क्यूपी / एनओएस पाठ्यक्रमों के लिए टीओटी को संबंधित एसएससी द्वारा संचालित किया जाएगा और प्रशिक्षण भागीदार / प्रशिक्षण केंद्र संबंधित एसएससी टीओटी कार्यक्रम के तहत अपने प्रशिक्षक के टीओटी को अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- बीएसडीएम भी आवश्यकता पड़ने पर टीओटी कार्यक्रमों की व्यवस्था और वित्तपोषण कर सकता है।



5. रिकॉग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) योजना - ब्रिज कोर्स सहित

आरपीएल का उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क (NSQF) में संयोजित करना है। साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिये वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना एवं असमानताओं को कम करने की ओर प्रयास करना है। आरपीएल के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व शिक्षण को मान्यता प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी द्वारा अभ्यर्थी के Knowledge Gap को दूर करने के लिए ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाता है।

5.1 इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार हैं-

1. प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा

18 से 59 वर्ष।

2. प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता

आरपीएल बिहार के किसी भी मूल निवासी उम्मीदवार पर लागू है जो-

- नामांकन की तिथि पर, क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) की आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम आयु मानदंड के अनुसार योग्य हो। हालाँकि, यह अनिवार्य कोई शर्त नहीं बल्कि अधिमान्य शर्त होगी।
- उसके पास आधार कार्ड और आधार से जुड़ा/लिंक किया हुआ बैंक खाता हो।
- संबंधित पाठ्यक्रम के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समन्वय में कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई / प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा परिभाषित प्री-स्क्रीनिंग मानदंडों को पूरा करता हो।
- प्रशिक्षणार्थी वित्त पोषण विभाग की पात्रता मानदंड अनुसार योग्य हो।

3. उपलब्ध कोर्स

- सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित पाठ्यक्रम।

4. प्रशिक्षण की अवधि

- ब्रिज कोर्स के साथ पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए - 80 घंटे तक।

(1) अभिविन्यास गतिविधियाँ (Orientation Activities) -

- 12-घंटे का अनिवार्य अभिविन्यास जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-
 - डोमेन प्रशिक्षण (स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय सहित कोर्स के संबंध में प्रशिक्षणार्थी के किसी भी संदेह को स्पष्ट करना करना) - 6 घंटे।
 - कोर्स के लिये विशिष्ट सॉफ्ट स्किल और उद्यमिता के संबंध में परामर्श - 4 घंटे
 - मूल्यांकन प्रक्रिया और शर्तों का परिचित - 2 घंटे

(2) ब्रिज कोर्स (Bridge Course) -

- 68 घंटे तक की अवधि और कोर्स के मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों पर आधारित।

5.2 मूल्यांकन एवं प्रमाणन:-

ब्रिज कोर्स के साथ पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए मूल्यांकन के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा निम्नलिखित चरण पूरे किए जाने हैं-

(क) प्री-स्क्रीनिंग:-

परियोजना क्रियान्वयन इकाई को उम्मीदवारों की एक मजबूत और गहन पूर्व स्क्रीनिंग करनी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा पाठ्यक्रम उनके पूर्व ज्ञान और अनुभव से सबसे अधिक मेल खाता है और यदि कोई Knowledge Gap है, तो उसकी पहचान की जाएगी।





कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



(क) प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया को दो भागों यथा-उम्मीदवार से सहायक दस्तावेज और साक्ष्य का संग्रह एवं उम्मीदवार का स्व-मूल्यांकन में बांटा गया है।

(ख) अंतिम मूल्यांकन:-

- उम्मीदवारों का अंतिम मूल्यांकन करने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल से मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी की पहचान करने के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई ।
- परियोजना के लिए नियुक्त मूल्यांकन एजेंसी और परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यों में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए।



नोट:- जो उम्मीदवार मूल्यांकन प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगी। हालाँकि, वे प्रशिक्षित और प्रमाणित होने के लिए मुख्य धारा डोमेन कौशल का विकल्प चुन सकते हैं।



6. संकल्प (SANKALP)

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता "संकल्प" विश्व बैंक से ऋण सहायता के साथ कौशल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संस्थानों को मजबूत करके गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना, बेहतर बाजार कनेक्टिविटी लाना और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करना है।

6.1 संकल्प के तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं:-

1. केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढीकरण।

- बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रीय कौशल अंतर अध्ययन, युवा आकांक्षा मानचित्रण अध्ययन और नौकरी बाजार अध्ययन।
- बिहार के भीतर और बाहर प्रवासन परामर्श-सह-पंजीकरण केंद्र (एमसीआरसी) की स्थापना।
- केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापना आदि।

2. कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन।

- कार्यक्रमों और लाभों की अधिकतम पहुंच के लिए जागरूकता गतिविधियों।
- जिला एवं राज्य स्तरीय रोजगार मेले।
- मोबाइल कौशल वैन के माध्यम से कौशल उन्नयन।
- कैरियर परामर्श।
- Industry Outreach कार्यक्रम आदि।

3. कौशल विकास कार्यक्रमों में हाशिए पर रहने वाली आबादी को शामिल करना।

- महिलाओं के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्लेसमेंट से जुड़ा ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण।
- एससी/एसटी अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार आदि के लिए उद्यमिता से जुड़ा प्रशिक्षण।

7. सभी कार्यक्रमों के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट

- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रु. 1000 रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देना होगा।
- गंभीर रूप से वंचित समूहों यथा भिखारी और उनके आश्रित कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति और उनके आश्रित निर्माण श्रमिकों, एचआईवी रोगी और उनके आश्रित जेल के कैदी इत्यादि को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट दी जा सकती है।
- रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट से छूट के लिए लागू उपरोक्त श्रेणियों की सूची को आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार संशोधित किया जा सकता है।
- केन्द्र संचालकों के द्वारा प्रत्येक बैच के प्रारंभ से पूर्व, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रशिक्षणार्थियों से एकत्र कर पोर्टल पर वॉलेट के माध्यम से बीएसडीएम को देना होगा।
- सिक्योरिटी जमा राशि केवल सर्टिफाइड प्रशिक्षणार्थियों को ही वापस की जायेगी।
- सिक्योरिटी जमा राशि बीएसडीएम द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- असफल भुगतान, यदि कोई हो तो, को प्रशिक्षणार्थियों के आधार लिंक बैंक खाते में वापस की जायेगी।



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



8. जिला पदाधिकारी से अपेक्षा:-

- कौशल दक्षता की कमी को पहचान कर जिला के लिये कौशल विकास योजना बनाना ।
- नियमित जिला कौशल कमिटी की बैठक आयोजित किया जाना।
- योजना के बारे में जनता और स्थानीय अधिकारियों को जागरूक करने में सहायता विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने में मदद की आवश्यकता।
- योजनाओं के लाभार्थियों की प्रगति का नियंत्रण एवं योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में मदद।
- योजनाओं के लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने में मदद।
- कौशल विकास केन्द्रों के औचक निरीक्षण में मदद (चेक लिस्ट संलग्न)।
- योजनाओं की जानकारी जिले में अवस्थित उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालयों के युवाओं को अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रचार-प्रसार में मदद।
- जिला मुख्यालयों में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का होर्डिंग लगाने में मदद।
- प्रत्येक माह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता की जिला कौशल विकास समिति की बैठक करवाना।
- राज्य में 13 आकांक्षी जिले है जिन्हें सोलह लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर स्वर्च करवाना।
- जिला में संकल्प योजनान्तर्गत किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरन्तर निगरानी करना।
- जिला में Skill Gap Survey के कार्य सफलतापूर्वक संचालित करवाना।
- प्रत्येक वर्ष जिले के मांग के अनुरूप District Skill Development Plan (DSDP) तैयार करवाना और भारत सरकार को भेजना साथ ही उसको जिले में implement करवाना।



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



जिला पदाधिकारियों द्वारा केन्द्र निरीक्षण संबंधी चेकलिस्ट

दिनांक :
जिला :
प्रखंड :
प्रशिक्षण केन्द्र का नाम :
योजना का नाम (KYP/Domain/RTD/RPL/BS-CFA) :

जांच के बिन्दु	संतोषप्रद/असंतोषप्रद	अभ्युक्ति
आधारभूत संरचना		
केन्द्र तक पहुंच पथ की स्थिति		
केन्द्र की ब्रांडिंग (बैनर/साईनेज इत्यादि)		
प्रशिक्षण हेतु संसाधन / मशीनों की उपलब्धता		
सी0सी0टी0भी0 फुटेज की उपलब्धता		
केन्द्र की साफ-सफाई		
उपस्थिति		
प्रशिक्षक की उपस्थिति		
प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति		
प्रशिक्षण की गुणवत्ता		
प्रशिक्षणार्थियों का फीडबैक		
प्रशिक्षक का प्रदर्शन		
अन्यान्य		
अन्य विषय (यदि कोई)		

(हस्ताक्षर)



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



जिला कौशल प्रबंधकों की सूची

Details of District Skill Managers

S.L	Name	Posted district	Mobile No	Mail Id
1	Ravi Shankar Kumar	Araria	7004491991	dsm1.araria@gmail.com
2	Md Ali Basit	Arwal	9852139712	dsm1.arwal@gmail.com
3	Rakesh Kumar	Aurangabad	9122975522	dsm1.aurangabad@gmail.com
4	Sudha Ranjan	Aurangabad	7461835141	dsm02.aurangabad@gmail.com
5	Shashi shekhar snehi	Banka	7294181318	dsm1.banka@gmail.com
6	Krishn Kishor	Begusarai	7979976382	dsm3.begusarai@gmail.com
7	Kumar Ranjay Singh Deo	Begusarai	9955858744	dsm1.begusarai@gmail.com
8	Satish Kumar Patel	Begusarai	6204479236	dsm2.begusarai@gmail.com
9	Vivek Kumar	Bhagalpur	8873938201	dsm1.bhagalpur@gmail.com
10	Razi Ahmad	Bhagalpur	8210603158	dsm2.bhagalpur@gmail.com
11	Rakesh Kumar	Bhojpur	9097920206	dsm1.bhojpur@gmail.com
12	Sanjay Kumar	Bhojpur	7004979423	dsm2.bhojpur@gmail.com,
13	Utpal Kumar	Buxar	9990644551	dsm2.buxar@gmail.com,
14	Kundan Kumar	Buxar	7415400334	dsm1.buxar@gmail.com
15	Jai Kishan Bindhyacal Prasad	Darbhanga	9552640622	dsm02.darbhanga@gmail.com
16	Gautam Kumar	Darbhanga	7759990898	dsm01.darbhanga@gmail.com
17	Bindhyachal kumar	East Champaran	7004538648	dsm3.eastchamparan@gmail.com,
18	Dinesh Kumar	East Champaran	7766939511	dsm1.eastchamparan@gmail.com
19	Sushil Kumar	East Champaran	8750736322	dsm2.eastchamparan@gmail.com
20	Devendra Kr Roy	Gaya	9128637259	dsm1.gaya@gmail.com
21	Nikhilesh ranjan	Gaya	9122675465	dsm2.gaya@gmail.com
22	Vijay Kumar	Gaya	7542952912	dsm3.gaya@gmail.com
23	Randhir Kumar Gupta	Gopalganj	8882009393	dsm1.gopalganj@gmail.com
24	Prateek Jain	Jamui	8839539414	dsm1.jamui@gmail.com
25	Santosh Kumar	Jehanabad	8873456339	dsm1.jehanabad@gmail.com
26	Dharmendra Kumar	Kaimur	85390 35908	dsm1.kaimur@gmail.com
27	Rahul Kumar	Katihar	7970376628	dsm1.katihar@gmail.com
28	Deepak kumar	Katihar	7979026682	dsm2.katihar@gmail.com
29	Rajeev Ranjan Kumar Singh	Khagariya	8825102674	dsm1.khagaria@gmail.com
30	Chhotu saha	Kishanganj	7908679415	dsm01.kishanganj@gmail.com
31	Sudhandhu shekhar	Lakhisarai	8210110410	dsm1.lakhisarai@gmail.com
32	Vacant	Madhepura		
33	Rajnish Kumar Pandey	Madhepura	9334372878	dsm1.madhepura@gmail.com
34	Pravesh Prabhakar	Madhubani	9708312737	dsm1.madhubani@gmail.com
35	Prem Prakesh	Madhubani	7870266629	dsm2.madhubani@gmail.com
36	Krishna Kumar Pandey	Munger	7081990707	dsm01.munger@gmail.com
37	Puspendra Kumar Chaurasiya	Muzaffarpur	8709492392	dsm1.muzaffarpur@gmail.com
38	Rajiv Nayan	Muzaffarpur	9308717487	dsm03.muzaffarpur@gmail.com
39	Shashi Bhushan Sharma	Muzaffarpur	9308392709	dsm2.muzaffarpur@gmail.com
40	Krishna Kumar Yadav	Nalanda	9334269359	dsm1.nalanda@gmail.com
41	Samant Kumar	Nalanda	9324969710	dsm2.nalanda@gmail.com
42	Pawan Kumar Barnwal	Nawada	9973760240	dsm2.nawada@gmail.com
43	Nitesh Kumar	Nawada	9060870365	dsm01.nawada@gmail.com,



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



जिला कौशल प्रबंधकों की सूची

Details of District Skill Managers

S.L	Name	Posted district	Mobile No	Mail Id
44	Zaphar Imam	Patna	9430299040	dsm2.patna@gmail.com
45	Avinash Kumar	Patna	9973085432	dsm5.patna@gmail.com
46	Ravi Kumar	Patna	9097785325	dsm1.patna@gmail.com
47	Ujjwal Kumar	Patna	9955991647	dsm3.patna@gmail.com,
48	Rajeev Ranjan Kumar	Patna	9110921170	dsm06.bsdm@gmail.com
49	Ravish Kumar Sharma	Patna	7479560366	dsm4.patna@gmail.com
50	Vishal Kumar	Purnia	7979958954	dsm2.purnia@gmail.com
51	Prem Prakash Ujjain	Purnia	7979821998	dsm1.purnia@gmail.com
52	Kundan Kumar	Rohtas	7759995968	dsm002.rohtas@gmail.com,
53	Saurabh Kumar	Rohtas	9643574181	dsm1.rohtas@gmail.com
54	Santosh Kumar	Samastipur	8340114613	dsm1.samastipur@gmail.com
55	Ajit Singh	Samastipur	9117159355	dsm3.samastipur@gmail.com
56	Vikash Kumar	Samastipur	9625072584	dsm2.samastipur@gmail.com
57	Vijendra Kumar	Saran	7654327312	dsm2.saran@gmail.com
58	Bharat Bhushan Kumar	Saran	9504796403	dsm3.saran@gmail.com
59	Mayank	Saran	9065961445	dsm1.saran@gmail.com
60	Dipak Kumar	Saharsa	9570320703	dsm1.sheohar@gmail.com
61	Subhash Kumar	Sheikhpura	6203789918	dsm1.saharsa@gmail.com
62	Anirudh Kumar	Sheohar	8405053105	dsm1.sheikhpura@gmail.com
63	Kumar Rituraj	Sitamarhi	8340531941	dsm1.sitamarhi@gmail.com
64	Chandan Kumar	Sitamarhi	9431491413	dsm02.sitamarhi@gmail.com
65	Chandan Dhari Prasad	Siwan	9507575640	dsm2.siwan@gmail.com
66	Kameshwer Kumar	Siwan	9110126127	dsm1.siwan@gmail.com
67	Prem Kumar	Supaul	9297758095	dsm1.supaul@gmail.com
68	Vishwajeet Kumar	Vaishali	7903294635	dsm1.vaishali@gmail.com
69	Amar Nath Gunjan	Vaishali	7979758802	dsm3.vaishali@gmail.com
70	Kumar Abhishek	Vaishali	7992374226	dsm2.vaishali@gmail.com,
71	Vikash Ranjan	West Champaran	9973449709	dsm1.westchamparan@gmail.com
72	Adarsh	West Champaran	9304134757	dsm.westchamparan2@gmail.com



कौशल विकास केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका



जिला कौशल विशेषज्ञों की सूची

Details of District Skills Expert

S.No	Location of Deployment	Name of Officer	Designation of Officer	Mobile Number	Official E Mail ID
1	Araria	Mr.Santosh Kumar Nonia	District Skill Expert	9064225679	dse1.araria@gmail.com
2	Arwal	Mr. Pravesh Kr. Prabhakar	District Skill Expert	9708312737	dse1.arwal@gmail.com
3	Aurangabad	Mr. Niranjan kumar Singh	District Skill Expert	7070794833	dse1.aurangabad@gmail.com
4	Banka	Mr. Saurav Kumar Suman	District Skill Expert	8130530343	dse.banka@gmail.com
5	Begusarai	Mr. Kundan Kumar	District Skill Expert	9304424962	dse.begusarai@gmail.com
6	Bhagalpur	Mr. Sushil Kr Pandey	District Skill Expert	8210233513	dse1.bhagalpur@gmail.com
7	Bhojpur	Mr. Devesh Gunjan	District Skill Expert	9006260482	dse1.bhojpur@gmail.com
8	Buxar	Mr. Alok Ranjan	District Skill Expert	9905685544	dse.buxar@gmail.com
9	Darbhanga	Mr. Dharmendra kumar	District Skill Expert	9939969468	dse1.darbhanga@gmail.com
10	East Champaran	Mr. Anupam Ranjan	District Skill Expert	8804383643	dse.eastchamparan@gmail.com
11	Gaya	Mr. Praveen Prakash	District Skill Expert	9122831882	dse1.gaya@gmail.com
12	Gopalganj	Mr. Alok Kr. Tripathi	District Skill Expert	7058375708	dse1.gopalganj@gmail.com
13	Jamui	Mr. Sunil Kumar	District Skill Expert	9718509339	dse1.jamui@gmail.com
14	Jehanabad	Mr. Naveen Kumar	District Skill Expert	9931850167	dse.jehanabad@gmail.com
15	Kaimur	Mr. Deepak Kumar	District Skill Expert	7903858072	dse.kaimur@gmail.com
16	Katihar	Mr. Vishwajeet Kumar	District Skill Expert	9572208284	dse.katihar@gmail.com
17	Khagaria	Mr. Santosh Kumar Jha	District Skill Expert	7654742293	dse1.khagaria@gmail.com
18	Kishanganj	Mr.Santosh Kumar	District Skill Expert	9110911524	dse1.kishanganj@gmail.com
19	Lakshisarai	Mr. Rohit Ravi	District Skill Expert	9234152144	dse.lakshisarai@gmail.com
20	Madhepura	Mr Raju Kumar	District Skill Expert	8050180390	dse.madhepura@gmail.com
21	Madhubani	Mr. Nirmal Kumar	District Skill Expert	9667910539	dse1.madhubani@gmail.com
22	Munger	Mr. Manish Kumar Gupta	District Skill Expert	9608292300	dse.munger@gmail.com
23	Muzaffarpur	Mr. Ranbir Singh	District Skill Expert	6200465511	dse.muzaffarpur@gmail.com
24	Nalanda	Mr. Rajeev Singh	District Skill Expert	9142523452	dse.nalanda@gmail.com
25	Nawada	Mr. Gajendra Yadav	District Skill Expert	9304193910	dse1.nawada@gmail.com
26	Patna	Mr. Ravi Kumar	District Skill Expert	8271093988	dse1.patna@gmail.com
27	Purnia	Mr. Sumit Mishra	District Skill Expert	8269979190	dse.purnia@gmail.com
28	Rohtas	Mr. Nityanand Garg	District Skill Expert	9279143116	dse.rohtas@gmail.com
29	Saharsa	Mr. Radheyshyam	District Skill Expert	9065374975	dse.saharsa@gmail.com
30	Samastipur	Mr. Pankaj Kumar Singh	District Skill Expert	9718195477	dse1.samastipur@gmail.com
31	Saran	Mr. Sudheer Kumar Singh	District Skill Expert	8789130651	dse1.saran@gmail.com
32	Sheikhpura	Mr. Tinku Kumar	District Skill Expert	6202015823	dse1.sheikhpura@gmail.com
33	Sheohar	Mr. Sandeep Singh	District Skill Expert	9798914040	dse1.sheohar@gmail.com
34	Sitamarhi	Mr. Ravi Kumar	District Skill Expert	8539814961	dse1.sitamarhi@gmail.com
35	Siwan	Abhishek Prasad	District Skill Expert	8252563816	dse1.siwan@gmail.com
36	Supaul	Mr. Rajat Shekhar	District Skill Expert	9709882295	dse1.supaul@gmail.com
37	Vaishali	Mr. Mukesh Kumar	District Skill Expert	9263277916	dse.vaishali@gmail.com
38	West Champaran	Mr. Anish Kumar Dubey	District Skill Expert	9471271011	dse.westchamparan@gmail.com



बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

कार्यालय : ए विंग, पाँचवा तल्ला, नियोजन भवन, आयकर चौराहा, बेली रोड, पटना – 800001

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

Website : <https://skillmissionbihar.org/>

टोल फ्री नंबर : 1800 123 6525 [10 AM to 6 PM, Mon - Sat]